दिनांक 21.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हापुड़/थाना हापुड देहात

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 21.01.2025 को थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ततारपुर गोल चक्कर के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–गुल्लू उर्फ शिवांश 2–सुशान्त उर्फ विक्की उर्फ कबूतर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछिच चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुल्लू उर्फ शिवांश निवासी जरौठी रोड़ नवदुर्गा कॉलोनी थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

2–सुशान्त उर्फ विक्की उर्फ कबूतर निवासी अनुज विहार थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड।

बरामदगी

1–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

2–01 चार पहिया वाहन।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 21.01.2025 को थाना भोपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोपा नहर पुल के आगे मुजफ्फरनगर रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शौकीन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोपा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोपा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शौकीन निवासी ग्राम टाई जनपद नूह सदर मेवात, हरियाणा।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना रतनपुरी

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 21.01.2025 को थाना रतनपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष रंजन को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रतनपुरी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष रंजन निवासी ग्राम तुमकडिया थाना बेतिया पश्चिमी चम्पारन, बिहार।

जनपद कन्नौज/थाना छिबरामऊ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **19 अवैध तमंचा 315 बोर**
- **3500/–रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 21.01.2025 को थाना छिबरामऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पापा होटल के पास जी0टी0 रोड से अभियुक्त लालाराम उर्फ हरीशंकर उर्फ पिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 19 अवैध तमंचा 315 बोर, 3500/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कन्नौज, एटा के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छिबरामऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– लालाराम उर्फ हरीशंकर उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम फतेहपुर थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

1–19 अवैध तमंचा 315 बोर।

2–3500/–रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 22 हजार 20 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 21.01.2025 को थाना साहिबाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईटीएस कॉलेज नाणद्वार मोहननगर के पास से 02

अभियुक्तों 1—फूलचन्द्र 2—लालमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 22 हजार 20 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.12.2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फूलचन्द्र निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।

2—लालमन निवासी ए—262 टी हटस कीर्तिनगर रमेशनगर दिल्ली स्थाईपता फदगुदिया थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 22 हजार 20 रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद खीरी/थाना निघासन

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 21.01.2025 को थाना निघासन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—जमाल 2—सद्दाम 3—कुर्सील को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.01.2025 को थाना निघासन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना निघासन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना निघासन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जमाल निवासी बैरिया थाना पढुआ जनपद खीरी।

2—सद्दाम निवासी डंडूरी थाना पढुआ जनपद खीरी।

3—कुर्सील निवासी डंडूरी थाना पढुआ जनपद खीरी।

बरामदगी

1—लूट के 10 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद खीरी/थाना गोला

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 हजार 120 रूपये नगद**
- **चोरी के अन्य सामान**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **01 दो पहिया आदि बरामद**

दिनांक 21.01.2025 को थाना गोला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोंधवा जाने वाले मार्ग से 04 अभियुक्तों 1—वारिस अली 2—सिराजुद्दीन उर्फ सिराज 3—मो0 अफजल 4—फुरकान को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 हजार 120 रूपये नगद, चोरी के अन्य सामान, 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस, 01 चार पहिया वाहन, 01 दो पहिया आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना गोला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये आदि उक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त वारिस अली के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ सिराज, मो0 अफजल के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गोला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वारिस अली निवासी काशीराम कालोनी कस्बा व थाना गोला जनपद खीरी।

2–सिराजुद्दीन उर्फ सिराज निवासी बासुरा थाना रामपुर मथुरा जनपद खीरी।

3–मो0 अफजल निवासी पैगम्बरपुर थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी हालपता–मडियॉव गॉव थाना जानकीपुरम्, लखनऊ।

4–फुरकान निवासी मो0 गढी कस्बा व थाना गोला जनपद खीरी।

बरामदगी

1–चोरी के 10 हजार 120 रूपये नगद।

2–चोरी के अन्य सामान।

3–02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 चार पहिया वाहन।

5–01 दो पहिया आदि।

जनपद प्रतापगढ़/थाना लालगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 08 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 21.01.2025 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उधरनपुर नाले के पास अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शोएब उर्फ रूफी 2–रामसिंह घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 08 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शोएब उर्फ रूफी के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त रामसिंह के विरूद्ध जनपद जौनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शोएब उर्फ रूफी निवासी अचलपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2–रामसिंह निवासी ग्राम तारापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 08 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

एएनटीएफ/ एएनटीएफ थाना गाजीपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत के 525 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद**

दिनांक 21.01.2025 को थाना एएनटीएफ थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एन0एच0 31 हाइवे ग्राम सेकराचक फैज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के पास से 03 अभियुक्तों 1–पन्नालाल 2–संजय कुमार 3–सुरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत के 525 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पन्नालाल निवासी भुतहिया ताड़ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

2–संजय कुमार निवासी सरैला चितकोनी थाना दिलदारनगर, हालपता पीरनगर गोराबाजार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3–सुरेन्द्र कुमार निवासी सरैला चितकोनी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये कीमत के 525 ग्राम अवैध हेरोइन।

- **<u>जनपद फतेहपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 01 लाख 16 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस ने अभियुक्त हाजी रजा मोहम्मद उर्फ हाजी मोहम्मद रजा पुत्र मोबीन निवासी मोहल्ला पनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 01 लाख 16 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना धनघटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना नानपारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना नानपारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हृदयराम 2–किन्नर 3–विजयचन्द्र 4–रामेन्द्र को 10–10 वर्ष के कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनुराग को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–लगभग 06 वर्षो से फरार बाबरिया/घुमन्तु अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0–25,000/– का इनामी अपराधी कल्लू उर्फ उदयभान गिरफ्तार।

दिनांक 21–01–2025 को एस0टी0एफ0 को बाबरिया व घुमन्तु अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं मु0अ0सं0 319/19 धारा 392 भादवि थाना मलपुरा जनपद आगरा में वांछित लगभग 06 वर्षों से फरार रू0–25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी कल्लू उर्फ उदयभान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कल्लू उर्फ उदयभान पुत्र मुन्ना बाबरिया उर्फ चंदन निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जनपद भरतपुर (राजस्थान)

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

लालऊ पुल कट थाना मलपुरा जनपद आगरा। दिनांक 21–01–2025 समय 10:10 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना मलपुरा जनपद आगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 319/19 में वांछित एवं लगभग 06 वर्षो से फरार रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कल्लू उर्फ उदयभान किसी संगीन घटना को अंजाम देने

के लिये अपने अन्य साथी से मिलने के लिये राजस्थान बार्डर होते हुए आगरा जाने वाला है। इस सूचना पर उ0नि0 धूम सिंह, उ0नि0 अमित कुमार, मु0आ0 शिवओम पाठक, मु0आ0 रामजी लाल, मु0आ0 हरिओम व आरक्षी संजय यादव की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर ज्ञात स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त कल्लू उपरोक्त ने बताया कि वह बावरिया गिरोह का सदस्य है। वह अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर अलग–अलग राज्यों मे घूम–घूमकर नाम–पता बदलकर विभिन्न पहचान के कूटरचित दस्तावेज बनवाकर लूट, चोरी जैसी घटनाएं करता रहता है। पकड़े जाने पर अपना नाम भी अलग अलग दस्तावेजों के आधार पर बताते है। वर्ष–2019 में थाना मलपुरा क्षेत्र मे एक घर में घुसकर डरा–धमका कर सोने चांदी के जेवरात व कुछ नकद रूपये लूटा था। अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध अलग–अलग राज्यों एवं जनपदों में भिन्न–भिन्न नामों से अभियोग पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना मलपुरा जनपद आगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 319/19 धारा 392 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही जनपद आगरा द्वारा की जा रही है।

————————